न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 83/2022/प्रार्थना पत्र/बउनवान/ग्राम विकास अधिकारी बनाम राजस्थान सरकार,जीसीएमएस संख्या 2022/294

ग्राम विकास अधिकारी पंचायत छत्रपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.........अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131 एल.आर. एक्ट वास्ते नक्शा दुरूस्ती</u>

वकील प्रार्थी : श्री दयाकृष्ण धाकड़
वकील अप्रार्थी : एकपक्षीय
दायरा दिनांक: 06.02.2022 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

–: निर्णय :–

प्रार्थी निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं:–

प्रार्थी ग्राम पंचायत छत्रपुरा का पदेन सचिव हैं जिसको पंचायत की ओर से प्रार्थना पत्र करने का अधिकार हैं। आराजी खसरा नंबर 1038 रकबा 5.12 हैक्टर गैर मुमकिन तलाव है जिसका उपयोग उपभोग समस्त ग्रामवासी करते हैं तथा ग्राम के पशु के पानी पीने का एक मात्र स्त्रोत हैं जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 1038 गैर मुमकिन तलाव के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। दौराने भू–नक्शा ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्व कर्मचारियों ने तलाव की आराजी का राजस्व नक्शा बदल दिया हैं तथा पूर्व नक्शा अनुसार नही बनाया तथा ऑनलाईन क्रिया के बाद वर्तमान नक्शें के स्वरूप को बिगाड़ दिया हैं तथा साबिक नक्शें के मुकाबलें वर्तमान नक्शें को परिवर्तित कर दिया हैं। जिसका राजस्व विभाग को कोई अधिकारात हासिल नही था। प्रार्थी साबिक खसरा नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शें को दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। तलाव की खाता आराजी नक्शें में परिवर्तन होने से समीपस्थी काश्तकार दखलान्दाजी करने पर आमादा हो रहे है इसलिए वर्तमान खसरा नंबर 1038 के राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अप्रार्थी से प्रार्थी ने कई बार नक्शा दुरूस्ती का निवेदन किया जा चुका हैं किन्तु प्रार्थी का नक्शा दुरूस्त नही करने के कारण प्रार्थी को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा हैं। आराजी वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नंबर 1038 के ऑनलाईन भू राजस्व नक्शा पूर्व नक्शें अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को दिलवाई जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल पेरोकार सरकार से रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक है। पत्रावली में तहसीलदार मांगरोल को दिनांक 13.08.2025 को पत्र प्रेषित कर आगामी पेशी 22.09.2025 तक जवाब सरकार प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) मांगरोल के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/664 दिनांक 07.03.2025 से नक्शा दुरूस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो बिन्दुवार निम्न प्रकार है :–

(1) मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के ऑनलाईन के पूर्व के राजस्व नक्शें के अनुसार ग्राम छत्रपुरा 1038 की दक्षिणी मेड़ ख0नं0 1031, ख0नं01036 एवं ख0नं0 1037 की उत्तरी मेड़ को पूर्णतया स्पर्श कर रही हैं। उक्त नजरी नक्शा संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज हैं।

(2) मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के ऑनलाईन राजस्व नक्शा ख0नं0 1038 की दक्षिणी मेड़ एवं कैचमेंट ख0नं0 1796 (ख0नं0 1031, 1036, 1037 से बनाया गया हैं।) की उत्तरी मेड़ के बीच में खसरा संख्या 1030 का कुछ हिस्सा वक्त ऑनलाईन प्रक्रिया के दौरान सहवन से शामिल होना बताया गया हैं। उक्त नजरी नक्शा संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज हैं।

(3) मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के वर्तमान राजस्व नक्शा गत नक्शें की तुलना में भिन्न बनाया जाना बताया गया हैं। इस प्रकार वर्तमान सेग्रीगेशन नक्शें को सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शें अनुसार दुरूस्त किया जाना अपेक्षित हैं। उक्त नजरी नक्शा संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज हैं।

प्रकरण में उक्तानुसार जवाब सरकार प्राप्त होने पर तथ्यात्मक रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को पुनः दोहराया गया। प्रस्तुत प्रार्थना, प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन कर चिंतन व मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दौराने भू–नक्शा ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्व कर्मचारियों ने तलाव की आराजी का राजस्व नक्शा बदल दिया हैं तथा पूर्व नक्शा अनुसार नही बनाया। ऑनलाईन प्रक्रिया के बाद वर्तमान नक्शें के स्वरूप को बिगाड़ दिया हैं तथा साबिक नक्शें के मुकाबलें वर्तमान नक्शें को परिवर्तित कर दिया हैं। तलाव की खाता आराजी नक्शें में परिवर्तन होने से समीपस्थी काश्तकार दखलान्दाजी करने पर आमादा हो रहे है इसलिए वाके ग्राम छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नंबर 1038 के राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं।

(सौरभ भाबु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

—:: क्रियात्मक आदेश :: —

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बहस वकील प्रार्थी, राजस्व रिकॉर्ड एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम छत्रपुरा तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नंबर 1038 के ऑनलाईन भू राजस्व वर्तमान नक्शे को पूर्व नक्शें अनुसार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

(सौरभ भाम्बू)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल